आज़ादी का
अमृत महोत्सव

प्रशिक्षण दर्शिका

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
Your own bank, Always with you

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
1. हिन्दी कार्यशालाओं की प्रासंगिकता और प्रभावोत्पादकता	1
2. गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम	3
3. संविधान में राजभाषा से संबन्धित मुख्य अनुच्छेद	4
4. राजभाषा अधिनियम, 1963	6
5. राजभाषा नियम, 1976	10
6. राजभाषा संकल्प, 1968	11
7. हिन्दी टाइपिंग टूल्स	12
8. हिन्दी और तकनीकी	15
9. राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्टिंग	18
10. शाखा में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु कार्य	20
11. अभ्यास	22

हिन्दी कार्यशालाओं की प्रासंगिकता और प्रभावोत्पादकता

हिंदी कार्यशाला का उद्देश्य : हिंदी कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित/ प्रेरित करना और दक्ष बनाना तथा उनकी भाषा प्रयोग संबंधी शंकाओं का समाधान करना होता है. स्टाफ सदस्यों के साथ बातचीत में अक्सर यह बात सामने आती है कि वे झिझक के कारण हिन्दी में कार्य नहीं कर पाते हैं और ऐसा कहते हैं :

- हिंदी में काम करना बहुत टेक्निकल है।
- मुझसे हिंदी में काम नहीं हो पाएगा।
- अभी इस काम को जल्दी निपटाना है। समय का अभाव है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में कार्यशाला की प्रासंगिकता : राजभाषा नियम 1976 के अस्तित्व में आने के बाद कार्मिकों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही कार्यशालाएं आयोजित करने का निदेश जारी हुआ है। हिंदी कार्यशालाएँ स्टाफ सदस्यों के लिए कारगर उपाय के रूप में साबित हो सकती हैं।

- हिन्दी में कार्य करने के प्रति स्टाफ की झिझक को दूर कर उनकी रुचि को जगाने का प्रयास किया जाता है।
- नियमित कार्यशालाओं के द्वारा हिन्दी की ग्राह्यता बढ़ती है और सभी स्टाफ सदस्य कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का नियमित प्रयोग करने लगते हैं।
- सामान्यतः अधिकारी/कर्मचारी अपनी टेबल का कार्य अँग्रेजी में करना चाहते हैं क्योंकि वे अँग्रेजी में कार्य करना आसान मानते हैं तथा अँग्रेजी को हिन्दी की अपेक्षा बेहतर संप्रेषणीय भाषा मानते हैं। हिन्दी कार्यशालाओं के माध्यम से इन समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाता है।

कार्यशाला के स्वरूप :

- गहन कार्यशाला
- लक्ष्योन्मुख कार्यशाला
- डेस्क प्रशिक्षण

गहन कार्यशाला के अंतर्गत कैप्सूल पाठ्यक्रम : राजभाषा नीति, हिंदी टिप्पण, पत्राचार, व्याकरण, वर्तनी, यूनिकोड

लक्ष्योन्मुख कार्यशाला : पत्राचार, हिंदी टंकण/यूनिकोड, राजभाषा नीति, हिंदी टिप्पण

लक्ष्योन्मुख कार्यशाला की मुख्य बातें

- प्रवीणता प्राप्त स्टाफ सदस्यों की पहचान कर उनके विषय क्षेत्र से संबंधित कार्यशाला का आयोजन करना।
- ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव सत्रों का आयोजन करना।
- अभ्यास परक सत्र।
- आंतरिक कामकाज बढ़ाने हेतु प्रभावी प्रशिक्षण देना।
- समय और संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।

स्टाफ की आवश्यकता के अनुसार कार्यशाला का प्रारूप

भाषा के आधार पर	
हिन्दी भाषी स्टाफ : हिन्दी भाषी स्टाफ सदस्य अधिकांश यह कहते पाए जाते हैं कि हिन्दी उनकी मातृभाषा है अतः उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, किन्तु राजभाषा विषयक नीतियों से तथा राजभाषा के कार्यालयीन पक्ष से पूर्णतः अवगत नहीं होते हैं।	**हिंदीतर स्टाफ :** हिन्दी कार्यशाला का सर्वाधिक लाभ हिंदीतर स्टाफ सदस्यों को प्राप्त होता है। इससे वे राजभाषा के सैद्धान्तिक व व्यावहारिक पक्ष से अवगत होते हैं और अपने कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिन्दी का अधिकांश प्रयोग करते हैं।
सेवा अवधि के आधार पर	
नए भर्ती स्टाफ : नए भर्ती हुए स्टाफ को राजभाषा विषयक नीति तथा नियमों की जानकारी प्रदान करने के लिए हिन्दी कार्यशाला अत्यंत उपयोगी एवं प्रभावी होती है। आज कल नए भर्ती हुए स्टाफ सदस्यों को हिन्दी में प्रवीणता / कार्यसाधक ज्ञान होने के बावजूद कार्यालयीन कार्यों में अँग्रेजी का प्रयोग सरल व सार्थक लगता है। कार्यशालाओं के माध्यम से उनकी इस धारणा में बदलाव लाया जा सकता है।	**पुराने स्टाफ :** हमारी संस्था में अधिकांश स्टाफ सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्यालयीन जीवन में हिन्दी कार्यशाला में अवश्य भाग लिया है। उनके लिए इंटरैक्टिव कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है जहां सभी एक दूसरे के अनुभव से सीखकर राजभाषा कार्यान्वयन में अपना योगदान दे सकते हैं।

नयी तकनीक का प्रयोग : आज कल प्रौद्योगिकी में नित नवाचार हो रहे हैं, तथा राजभाषा हिन्दी भी इससे अछूती नहीं है। हिन्दी लेखन हेतु यूनिकोड, गूगल वॉइस इनपुट जैसे नए सॉफ्टवेयर एवं कई एप्लिकेशन भी आ गई हैं। इस प्रकार नई तकनीकों को सभी स्टाफ सदस्यों के बीच प्रसारित करने का सबसे सशक्त माध्यम नियमित कार्यशाला ही हो सकती है।

कार्यशाला हेतु सुझाव

- कार्यशाला में सामान्यतः पीपीटी चलाई जाती है और लोगों को ज्ञान संप्रेषित करने का प्रयास किया जाता है। इसे अधिक बेहतर बनाने के लिए पीपीटी में ऑडियो/वीडियो इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- जिन स्टाफ सदस्यों ने एक बार हिन्दी कार्यशाला में भाग ले लिया है उनके लिए क्लासरूम कार्यशाला न करके करके इंटरैक्टिव सत्र चलाये जा सकते हैं ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान निकाला जा सके।
- उन से संबंधित कार्य को हिन्दी में करने का अभ्यास कराया जाए।
- हिंदी में पत्राचार का अभ्यास करवाया जाए।

निष्कर्ष

इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि कार्यशालाएँ हिंदी में काम करने का माहौल तैयार करने और स्टाफ सदस्यों में हिंदी के बारे में जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा रही हैं बल्कि यह स्टाफ सदस्यों की मानसिकता भी बदल रही है। कार्यशालाओं के उपरांत सहभागियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कार्यशालाएँ उपयोगी हैं और इनकी भूमिका निर्विवाद है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा के सफल कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें विभिन्न लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हर संभव प्रयास करें और राजभाषा को प्रभावी ढंग से गति प्रदान करें। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में कुछ की जानकारी यहाँ दी जा रही है। विस्तृत जानकारी हेतु भारत सरकार, राजभाषा विभाग की अधिकृत वेबसाइट https://rajbhasha.nic.in विजिट की जा सकती है।

वर्ष 2021 - 22 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिन्दी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क → क = 100% 2. क → ख = 100% 3. क → ग = 65% 4. क → क एवं ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति =100%	1. ख → क = 90% 2. ख → ख = 90% 3. ख → ग = 55% 4. ख → क एवं ख क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति = 90%	1. क → क = 55% 2. ख → ख = 55% 3. क → ग = 55% 4. ग → क एवं ख क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय /व्यक्ति = 55%
2.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना	100 %	100 %	100 %
3.	हिन्दी टिप्पण	75 %	50 %	30 %
4.	हिन्दी माध्यम में प्रशिक्षण	70 %	60 %	30 %
5.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री	100 %	100 %	100 %
6.	हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50 %	50 %	50 %
7.	कंप्यूटर में द्विभाषिकता	100%	100%	100%
8.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
9.	जन सूचना बोर्ड द्विभाषी हो	100%	100%	100%
10.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक	प्रत्येक तिमाही में एक बार	प्रत्येक तिमाही में एक बार	प्रत्येक तिमाही में एक बार

संविधान में राजभाषा से संबंधित मुख्य अनुच्छेद

संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में संघ की भाषा के संबंध में बताया गया है। **अनुच्छेद 343** (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अँग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था ।

परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अँग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

(क) अँग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

अनुच्छेद 344 : राजभाषा के संबंध में आयोग (संविधान के प्रारम्भ से 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा) तथा बीस लोक सभा तथा दस राज्य सभा के सदस्यों को समाहित करते हुए संसदीय राजभाषा समिति का गठन।

अध्याय 02 में प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में बताया गया है।

अनुच्छेद 345 : राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएँ (प्रादेशिक भाषा / भाषाएँ या हिन्दी; ऐसी व्यवस्था होने तक अँग्रेजी का प्रयोग जारी)

अनुच्छेद 346 : एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा (संघ द्वारा तत्समय प्राधिकृत भाषा; आपसी करार होने पर दो राज्यों के बीच हिन्दी)

अनुच्छेद 347 : किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

अध्याय 03 में उच्च और उच्चतम न्यायालयों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के संबंध में बताया गया है ।

अनुच्छेद 348 : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा।

अनुच्छेद 349 : भाषा से संबन्धित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया (राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफ़ारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा)

अध्याय 04 में विशेष निदेश के संबंध में बताया गया है ।

<u>अनुच्छेद 350</u> : व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा (किसी भी भाषा में)

(क) भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं।

(ख) भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति (राष्ट्रपति द्वारा)

<u>अनुच्छेद 351</u> : हिन्दी के विकास के लिए निदेश:- संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे ।

देवनागरी लिपि के गुण

1. एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत
2. एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त
3. जो ध्वनि का नाम वही वर्ण
4. मूक (सायलेंट) वर्ण नहीं
5. जो बोला जाता है वही लिखा जाता है
6. एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं
7. उच्चारण के सूक्ष्तम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता
8. वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप
9. व्यापक प्रयोग (संस्कृत, हिन्दी, मराठी, नेपाली की एक मात्र लिपि)
10. भारत की अनेक लिपियों के निकट

राजभाषा अधिनियम, 1963

(यथासंशोधित,1967)

(1963 का अधिनियम संख्यांक 19)

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी,उपबन्ध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

(2) अनुच्छेद 3, जनवरी, 1965 के 26 वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार,शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं--इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'नियत दिन' से, अनुच्छेद 3 के सम्बन्ध में, जनवरी, 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है;

(ख) 'हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना--

(1) संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही,

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी; तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी:

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगीः

परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि इस उपअनुच्छेद की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा ।

(2) उप अनुच्छेद (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा--

(i) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच;

(ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच;

(iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीच;

प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या विभाग या कम्पनी का कर्मचारीवृद हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

(3) उप अनुच्छेद (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही--

(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं;

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए;

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी।

(4) उप अनुच्छेद (1) या उप अनुच्छेद (2) या उप अनुच्छेद (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार अनुच्छेद 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उप अनुच्छेद (1) के खंड (क) के उपबन्ध और उप अनुच्छेद (2), उप अनुच्छेद (3) और उप अनुच्छेद (4), के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग

समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

4 .राजभाषा के सम्बन्ध में समिति -

(1) जिस तारीख को अनुच्छेद 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।

(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद् के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।

(4) राष्ट्रपति उप अनुच्छेद (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा:

परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश अनुच्छेद 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे ।

5. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद-

(1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित--

(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके समबन्ध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद-

जहां किसी राज्य के विधानमण्डल ने उस राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7 .उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग-

नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति -

(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) इस अनुच्छेद के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रममिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निस्प्रभाव हो जाएग । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निस्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. कतिपय उपबन्धों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होना-

अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

राजभाषा नियम, 1976

गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना किए जाने के बाद वर्ष 1976 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बना जिसे "राजभाषा नियम 1976" कहा जाता है और यह 28 जून 1976 की अधिसूचना के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया गया। बाद में वर्ष 1987, 2007 एवं 2011 में कुछ संशोधन हुए।

राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत कुल **12 नियम** हैं। इन नियमों का सही-सही अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के बाद राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं का निराकरण हो जाता है। इन नियमों का विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर लागू है। इस नियम के तहत भारत के राज्यों को "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में विभाजित किया गया।

'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

तथा

'क्षेत्र ग' से 'क्षेत्र क' और 'क्षेत्र ख' में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं। (जम्मू कश्मीर, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुच्चेरी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप)

यदि इनमें कुछ महत्वपूर्ण नियमों की बात करें तो सर्वप्रथम राजभाषा **नियम – 5** के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने अनिवार्य हैं।

राजभाषा **नियम – 6** के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम 1963 की धारा (3) के अंतर्गत जारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी / व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह कागजात हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में हो।

नियम – 9 में हिन्दी में प्रवीणता और **नियम – 10** के अंतर्गत कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा को परिभाषित किया गया है।

नियम – 11 में सभी प्रकार के मैन्युअल, संहिताओं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य की अनिवार्यतः द्विभाषिक रूप में उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात है।

नियम -12 कार्यालय प्रमुख के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। इस नियम के अनुसार- 1. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह (i) अधिनियमों और इन नियमों के उपबंधों और उप नियम (2) के अधीन जारी किए निदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करे और (ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच के लिए उपाय करे। 2. केन्द्रीय सरकार के अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकता है।

राजभाषा संकल्प, 1968

"जब तक संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है :

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एंव विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी ।

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 21 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाए किए जाने चाहिए।

   यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए।

   यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए यह सभा संकल्प करती है कि -
   - क. कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत होगा; और
   - ख. कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।"

हिंदी टाइपिंग टूल्स

वर्तमान समय में हमारे जीवन में टाइपिंग का महत्व बहुत बढ़ गया है। पहले टाइपिंग का अधिकाधिक उपयोग कार्यालयीन कार्यों के लिए किया जाता था किंतु आज फेसबुक और वाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर हम सभी प्रतिदिन टाइपिंग का उपयोग कर रहे हैं। अतः टाइपिंग करना आज हमारे जीवन की एक सामान्य क्रिया बन गई है। टाइपिंग को आसान बनाने के लिए आज इंटरनेट पर अनेक टाइपिंग टूल्स उपलब्ध हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर और मोबाइल फोन दोनों पर किया जा रहा है। इन टाइपिंग टूल्स के माध्यम से भारत के साथ-साथ विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में टाइपिंग की जा सकती है।

ऐसे टूल्स का उपयोग कर हम राजभाषा हिंदी में भी कार्य कर सकते हैं। फेसबुक और वाट्सऐप पर प्रायः लोगों को रोमन लिपि का उपयोग कर अपनी भाषा में अभिव्यक्ति देते हुए देखा जाता है अर्थात भाषा तो हमारी हिंदी या मातृभाषा होती है किंतु लिपि रोमन की होती है। उदाहरण के रूप में – 'Main aaj bazaar jaunga' इस वाक्य में लिपि तो रोमन किंतु भाषा हिंदी है। हिंदी में कार्य करने के लिए हमें बस इसी सामान्य पद्धति का प्रयोग करना है। टाइपिंग टूल्स की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि ये रोमन में टाइप किए गए शब्दों को देवनागरी (हिंदी के लिए अधिकारिक लिपि) या किसी भी अन्य लिपि में परिवर्तित कर देता है और इस प्रकार हम अपनी इच्छानुसार भाषा में आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। टाइपिंग की इस पद्धति को ट्रांस्लिट्रेशन (Transliteration) कहा जाता है।

हिंदी टाइपिंग टूल्स एक ऐसा ही साधन जिसकी सहायता से ट्रांस्लिट्रेशन द्वारा हम बहुत ही सरल तरीके से कंप्यूटर पर हिंदी में काम कर सकते हैं। इंटरनेट पर अनेक टाइपिंग टूल्स उपलब्ध हैं जिनमें से सर्वाधिक सुगम एवं उपयोग की दृष्टि से उपयुक्त कुछ टूल्स निम्नवत हैं :

1. **माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज़ इनपुट टूल (Microsoft Indic Language Input Tool) –** यह टूल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित वेबसाइट www.bhashaindia.com पर उपलब्ध है। इसे Windows 7 और Windows 8 समर्थित कंप्यूटरों पर सुगमता से इंस्टॉल किया जा सकता है।
2. **इंडिक इनपुट 3 (Indic Input 3) –** यह टूल भी वेबसाइट www.bhashaindia.com पर उपलब्ध है। इसे Windows 10 समर्थित कंप्यूटरों पर सुगमता से इंस्टॉल किया जा सकता है।
3. **गूगल इनपुट टूल (Google Input Tool) –** यह टूल गूगल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे किसी भी कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है। यह ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अतः आप कंप्यूटर पर इस टूल को बिना इंस्टॉल किए भी ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं।
4. **गूगल वॉइस टाइपिंग (Google Voice Typing) –** यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। इसकी सहायता से आप बोलकर टाइपिंग कर सकते है। गूगल वॉइस टाइपिंग का उपयोग कंप्यूटर तथा मोबाइल फोन दोनों पर किया जा सकता है।

टाइपिंग टूल्स की सहायता से हम निम्नांकित रूप में रोमन के अक्षरों को टाइप कर देवनागरी अक्षर प्राप्त कर सकते हैं अर्थात अंग्रेजी की बोर्ड की सहायता से हिंदी में टाइप कर सकते हैं :

स्वर :

अ - a	आ - aa	इ - i	ई - ee	उ - u	ऊ - oo	ऋ - ri
ए - e	ऐ - ai	ओ - o	औ - au	अं - an	अः - ah	

व्यंजन :

क – ka	ख - kha	ग - ga	घ - gha	ङ – nga
च - cha	छ - chha	ज - ja	झ - jha	ञ – nya
ट - ta	ठ - tha	ड - da	ढ - dha	ण - Na
त - ta	थ - tha	द - da	ध - dha	न - na
प - pa	फ - fa	ब - ba	भ - bha	म - ma
य - ya	र - ra	ल - la	व – va/ wa	श - sha
ष - sha	स - sa	ह - ha	क्ष – xa/ ksha	त्र - tra
ज्ञ - gya				

मात्रा युक्त अक्षर :

क - ka	का - kaa	कि - ki	की - kee	कु - ku	कू - koo	कृ - kri
के - ke	कै - kai	को - ko	कौ - kau	कं - kan	कः - kah	कॉ - kO

शब्द :

कम - kam	काम - kaam	कमल - kamal	कमाल - kamaal
कमला - kamalaa	दिन - din	दीन - deen	सुर - sur
सूरज - sooraj	कृषि - krishi	चेक - chek	चैन - chain
थोक - thok	कौशल - kaushal	कंठ - kanth	अतः - atah
कार्यालय - kaaryaalay	शाखा - shaakhaa	बचत - bachat	सावधि - saavadhi
ऋण - rin	प्रबंधक- prabandhak	अधिकारी- adhikaaree	लिपिक - lipik

चेकबुक - chekbuk	मंजूरी - manjooree	प्रदान - pradaan	स्टांप - stanp
कॉर्पोरेट - kOrporet	अंचल - anchal	कार्य - kaarya	सीवीओ - CVO

वाक्य:

जमा खाता खोलें - jamaa khaataa kholen
चेकबुक जारी करें – chekbuk jaaree karen
ऋण को मंजूरी प्रदान करें – rin ko manjooree pradaan karen
शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाए - shaakhaa men pratiniyukt kiyaa jaae
संसदीय समिति आ रही है - sansadeey samiti aa rahee hai
कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा – kaaryaalay kaa nireexaN kiyaa jaaegaa
राजभाषा अधिनियम समस्त भारत में लागू है – raajabhaashaa adhiniyam samast bhaarat men laagoo hai
हिंदी हमारी राजभाषा है – hindee hamaaree rajbhaashaa hai

हिन्दी और तकनीकी

आज के इस तकनीकी युग को **"टेक्नो युग"** भी कहा जा सकता है। वर्तमान समय में प्रत्येक काम में तकनीकी के भरपूर प्रयोग को देखा जा सकता है। आजकल स्कूलों में भी बच्चों को ई-लर्निंग और ई-क्लासेस के माध्यम से अध्यापन कराया जा रहा है। इसी तकनीकी को हम यदि भाषा से जोड़कर देखें तो पाते हैं कि हमारे कम्प्यूटरों, मोबाइलों में विभिन्न भारतीय भाषाओं को एनेबल किया गया है, जिससे सभी भाषा-भाषियों को अपनी बात एसएमएस, ई-मेल, वाट्स ऐप इत्यादि के माध्यम से संबन्धित भाषा वर्ग के लोगों तक पहुंचाना सुगम बन पड़ा है।

यदि हम हिन्दी को तकनीकी से जोड़कर देखें तो शुरुआती दौर में कुछ ही चुनिन्दा तथा नॉन यूनिकोड फॉन्ट की उपलब्धता के कारण हिन्दी में टाइपिंग करना मुश्किल प्रतीत होता था। फिर धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ और यूनिकोड फॉन्ट की उपलब्धता हुई। इससे भी कहीं अधिक हिन्दी टाइपिंग की सुगमता "माइक्रोसोफ्ट इंडिक लेंग्वेज़ इनपुट टूल" की शुरुआत से हुई। माइक्रोसोफ्ट के इस टूल के माध्यम से न केवल हिन्दी में अपितु किसी भी भारतीय भाषा में काम किया जा सकता है। यह टूल सभी एप्लीकेशनों पर सफलता पूर्वक कार्य करता है, और अंग्रेजी कीबोर्ड ले-आउट होने के कारण प्रयोग करने में भी सरल है। इसके बाद गूगल हिन्दी इनपुट जिसे अंग्रेजी कीबोर्ड की सहायता से चलाया जाता है। इसे मोबाइल में भी आसानी से इंस्टाल करके हिन्दी में टाइपिंग की जा सकती है। इन्हीं सब परिवर्तनों का कारण है, जो आज कंप्यूटर और हिन्दी का गहरा नाता हो गया है। वर्तमान में तकनीक के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी को अपनाना अति आसान हो पड़ा है। टाइपिंग सुविधा से लेकर वॉइस टाइपिंग की सभी सुविधाएं आज उपलब्ध हैं, आवश्यकता है तो सिर्फ हम सभी के द्वारा इन नवीनतम सुविधाओं को अपनाकर हिन्दी के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देने की।

भारत सरकार ने हिन्दी में विज्ञान तथा तकनीकी साहित्य और शब्दावली आयोग की स्थापना की है। इस आयोग का प्रमुख कार्य ज्ञान-विज्ञान तथा तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के हिन्दी पर्याय उपलब्ध कराना और तत्संबंधी शब्दकोशों का निर्माण करना है। यह आयोग हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास और समन्वय से संबंधित सिद्धांतों के वर्णन का और कार्यान्वयन का कार्य भी करता है।

राजभाषा हिन्दी को डिजिटली समृद्ध बनाने व इसे वर्ल्ड वाइड लोकप्रियता दिलाने में इटरनेट का भी बड़ा योगदान है। हम देख सकते हैं कि आज विभिन्न वेबसाइटों पर हिन्दी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ निशुल्क उपलब्ध हैं और कुछ के लिए अल्प भुगतान करना होता है। पुस्तकों को अपने कंप्यूटर तथा फोन में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है और अपने समय की अनुकूलता के साथ पढ़ा जा सकता है। वेबसाइट्स की बात हुई है तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट के बारे चर्चा करते हैं:-

1.	www.rajbhasha.nic.in	राजभाषा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट । इस वेबसाइट पर हिन्दी भाषा की स्व-अध्ययन सामग्री (लीला LILA सीरीज़), मंत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से त्वरित अनुवाद तथा ई-महाशब्दकोश उपलब्ध है । इसी वेबसाइट के जरिए भारत सरकार, राजभाषा विभाग को तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ।
2.	www.rbi.org.in/hindi/Home.aspx	बैंकिंग शब्दावली
3.	www.bhashaindia.com	माइक्रोसॉफ्ट की आधिकारिक वेबसाइट – भारतीय भाषाओं से संबन्धित विभिन्न उपयोगी टूल डाउनलोड करने हेतु ।

4.	www.unicode.org	यूनिकोड से संबन्धित समस्त जानकारी हेतु
5.	https://translate.google.co.in	हिन्दी सहित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद
6.	https://dict.hindikhoj.com	शब्दों के अर्थ और अन्य जानकारी
7.	www.shabdkosh.com	अंग्रेजी-हिन्दी-अंग्रेजी ऑनलाइन शब्दकोश

हिन्दी साहित्य संबंधी महत्त्वपूर्ण वेबसाइट्स

1.	https://vishwahindi.com	विश्व हिन्दी सचिवालय मौरिशस की वेबसाइट
2.	https://hindisamay.com	साहित्यिक आलेख, कहानी, उपन्यास, कविता आदि ।
3.	https://kavitakosh.org	उत्कृष्ट हिन्दी कविता
4.	https://gadyakosh.org	साहित्यिक निबंध, कहानी इत्यादि

कंप्यूटर पर हिन्दी में डिक्टेशन की सुविधा

हिन्दी / अंग्रेजी में डिक्टेशन की सुविधा केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। एक्सेस (Access) के लिए सिर्फ गूगल क्रोम खोलें।

गूगल क्रोम खोलने के बाद निम्नलिखित में से किसी एक साइट पर जाएँ।

हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों के लिए :-

- https://translate.google.co.in/
- http://www.hindidictation.com/index1.html
- http://speech.indiatyping.com/voice-to-text-hindi
- https://dictation.io/ (save as rtf and open in word)
- https://speechnotes.co/
- https://speechpad.pw/
- https://docs.google.com/ (it can be saved as word document in the local drive of the computer)

उक्त में से किसी भी साइट को खोलने पर आपसे माइक के उपयोग की अनुमति मांगी जाएगी। यह अनुमति प्रत्येक साइट तथा प्रत्येक कंप्यूटर पर केवल एक बार मांगी जाएगी। माइक के उपयोग की अनुमति लेने के बाद आप भाषा का चुनाव करें और हिन्दी चुनें इसके पश्चात हिन्दी बोलें। कंप्यूटर द्वारा लिखी गई सामग्री को कॉपी करके जहां जैसा आवश्यक हो पेस्ट किया जा सकता है।
https://dictation.io / पर बोली गई सामग्री .rtf (rich text format) में सेव की जाएगी और खोलने पर वर्ड में खुलेगी।

एंड्रोइड फोन में हम जहां भी की-बोर्ड की सहायता से लिखते हैं, वहाँ बोलकर हिन्दी में टाइप किया जा सकता है।

- ✓ इसके लिए Google play store में जाकर Google Indic Keyboard app डाउनलोड करें तथा इंस्टाल करें।

- ✓ इसके बाद सेटिंग्स में जाकर Languages Keyboard में जाकर Google Indic Keyboard को सलेक्ट / एनेबल करें।
- ✓ अब आप अपने मोबाइल में e-mail, Whatsapp, Message or Search में बोलकर हिन्दी लिख सकते हैं।
- ✓ जब आप कुछ लिखने के लिए keyboard खोलते हैं वहाँ आपको keyboard के दांई ओर ऊपर काले रंग के माइक का एक छोटा आईकॉन दिखाई देगा। उसे क्लिक करें और अंग्रेजी में बोलें।
- ✓ आप मोबाइल के लिखने की प्रतीक्षा न करें बोलते जाएँ। यह लिखना कुछ सेकंड के बाद चालू करता है।
- ✓ हिन्दी में बोलकर लिखने के लिए माइक ऑन करने के बाद और बोलने से पहले settings बटन पर क्लिक करें तथा Languages Options में जाकर English को deselect करें और Hindi Language को सलेक्ट करें तथा ok करें।
- ✓ आपको keyboard के दांई ओर ऊपर काले रंग के माइक का एक छोटा आईकॉन दिखाई देगा। उसे क्लिक करें और हिन्दी में बोलें।
- ✓ अँग्रेजी में बोलकर लिखने के लिए deselect Hindi & select English.

हिन्दी में ई-मेल पते के लिए https://www.datamail.in/ पर जा कर अपना पता बनाएँ। यह सुविधा सिर्फ मोबाइल पर है। डाटामेल उपयोगकर्ताओं की पसंदीदा भाषा में ई-मेल पता प्रदान करता है व उन्हीं की चुनी हुई भाषा में ई-मेल संचार नियत करता है।

मोबाइल में ऑनलाइन टाइप किए गए टेक्स्ट को कॉपी करके कंप्यूटर में पेस्ट किया जा सकता है। इसका उल्टा भी संभव है अर्थात कंप्यूटर में टाइप करके इस मोबाइल में पेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए कंप्यूटर व मोबाइल में clipbrd Beta chrome extension तथा ऐप डालनी पड़ेगी। send anywhere chrome extension की सहायता से फाइलों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। मोबाइल पर बोलकर सीधे online कंप्यूटर पर भी टाइप किया जा सकता है। **भारतीय भाषाओं में कनवर्ज़न के लिए TBIL Converter उपयोग में लिया जाता है।**

₹ सिंबल लिखने के लिए निम्न तरीके को काम में लिया जा सकता है।

Press Alt Key + the number 8377 on numeric key pad

Write 20b9 and then press Alt + X (letter)

Insert rupee symbol from insert menu

हिन्दी की कुछ उपयोगी वेबसाइट निम्न हैं :-

- https://mantra-rajbhasha.rb-aai.in
- https://pravachak-rajbhasha.rb-aai.in/
- https://shrutlekhan-rajbhasha.rb-aai.in
- https://kanthassth-rajbhasha.gov.in/
- https://rajbhasha.net/

राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्टिंग

प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन से संबन्धित विभिन्न रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। जोकि बैंक में किए गए राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कामकाज का आईना होती हैं।

- **तिमाही प्रगति रिपोर्ट यानि क्यूपीआर –** यह प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के बाद 15 दिन के भीतर अंचल कार्यालय को भेजी जाती है।
- **ऑनलाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट –** यदि कोई शाखा नराकास की सदस्य है तो उसे गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर कार्यालय का पंजीकरण करना होगा एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।
- **छमाही प्रगति रिपोर्ट –** यह प्रत्येक छमाही के अंत में नराकास संयोजक को भेजी जाती है। इसके आधार पर छमाही बैठक में गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा संबन्धित कार्यालयों की समीक्षा की जाती है।
- **निरीक्षण प्रश्नावली –** राजभाषा संसदीय समिति द्वारा शाखा का निरीक्षण किए जाने पर इसे विधिवत भर कर समिति सचिवालय को प्रस्तुत किया जाता है।

सरकार की निम्नलिखित पुरस्कार योजनाओं में इन रिपोर्टों को मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है :

- नराकास राजभाषा शील्ड योजना
- राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
- क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय का पुरस्कार

यह सभी निरीक्षणों का आधार है :

- संसदीय समिति की तीसरी उप समिति
- संसदीय समिति की साक्ष्य व आलेख समिति
- वित्त मंत्रालय के पदाधिकारियों के निरीक्षण
- क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण
- कॉर्पोरेट / अंचल कायार्लय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

शाखाओं से प्राप्त रिपोर्टों में सामान्य कमियाँ तथा चेक पॉइंट

सामान्य कमियां

1. आंकड़े ठीक से नहीं भरे जाते, गलत भरे जाते हैं।
2. अनेक मदों में “लागू नहीं / शून्य” जानकारी दी जाती है।
3. राजभाषा समिति के गठन एवं बैठक की जानकारी नहीं दी जाती है।
4. काई कार्यालय हिंदी कार्यशाला की जानकारी भी प्रस्तुत करते हैं जबकि शाखा स्तर पर कार्यशाला आयोजित नहीं की जाती है।

चेक पॉइंट / समाधान

1. आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखना।
2. रिपोर्ट का फार्मेट समझना सबके लिए आवश्यक है।
3. राभाकास का गठन एक सांविधिक आवश्यकता है।

4. कार्यशालाएं राजभाषा अनुभाग द्वारा ही की जाती हैं।
5. हस्ताक्षर की हुई एक प्रति राजभाषा फाइल में अवश्य रखी जाए।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट की महत्त्वपूर्ण मदें – जिन पर विशेष ध्यान जरूरी है

मद सं 1 - धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजात (अनिवार्यत: हिंदी अंग्रेज़ी में) की संख्या ।

मद सं 2- हिंदी में प्राप्त पत्रों की संख्या एवं उनके जवाब।

मद सं 3- अंग्रेजी में प्राप्त पत्र व उनके हिंदी में उत्तर- "क" क्षेत्र के लिए।

मद सं 4 – जारी किये गये कुल पत्रों का ब्यौरा- क,ख,ग क्षेत्र को और उनका प्रतिशत।

मद सं 5 आंतरिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग- प्रतिशत देना।

पासबुक / वाउचर / ड्राफ्ट / जमा रसीदें / रजिस्टरों / लेजरों आदि में प्रविष्टियां / फॉर्म भरना / पत्रों, नोटों पर टिप्पणियां।

मद सं 6- फाइलों पर हिंदी कार्य - तिमाही के दौरान टिप्पणियों की संख्या – हिंदी में टिप्पणियां व अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियां।

मद सं 8- हिंदी कार्यशालाएं – शाखा आयोजित नहीं करती।

मद सं 9 – राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तारीख।

सबसे महत्वपूर्ण – शाखा प्रबन्धक (Branch Manager) का नाम, हस्ताक्षर व एसआर संख्या अवश्य लिखें।

हस्ताक्षरित प्रति राजभाषा फाइल में रिकार्ड हेतु।

<u>शाखा में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु कार्य</u>

1. <u>शाखा का वातवरण</u>

   i. शाखा का साइनबोर्ड, नामपट्ट, सूचना पट्ट, नोटिस बोर्ड, काउंटर हैंगिग्स, नागरिक चार्टर, ग्राहक के लिए सूचनाएं आदि द्विभाषी या आवश्यकतानुसार त्रिभाषी हों।
   ii. जांच कर लें कि आपकी शाखा के एटीएम में हिंदी भाषा में निर्देश की सुविधा है या नहीं।
   iii. जब नई योजना का पोस्टर आता है तो तुरंत हिंदी का भी मंगवायें।
   iv. हर दिन शाखा बोर्ड पर एक शब्द, एक सुविचार हिन्दी में लिखें। हेल्पडेस्क से “लर्न अ हिन्दी वर्ड” की सहायता से शब्द लिए जा सकते हैं।
   v. ग्राहकों के इस्तेमाल में आनेवाले सभी द्विभाषिक फॉर्म शाखा में अवश्य रखे जाएँ।

2. <u>हिंदी से जुड़े कार्य</u>

   i. रबड़ की मुहरें तुरंत द्विभाषिक करवा लें।
   ii. शाखा में प्रयोग में आनेवाले लगभग सभी रजिस्टर द्विभाषिक रूप में ही उपलब्ध हैं। उनके शीर्षक हिंदी में लिखें।
   iii. रजिस्टरों में प्रविष्टियों को हिंदी में लिखने का प्रयास करें। उपस्थिति रजिस्टर में तो हर हाल में नाम आदि हिंदी में ही लिखें। अधिकांश रजिस्टरों में आंकड़े और नाम ही होते हैं। हर पृष्ठ पर दो या चार नाम हिंदी में लिखें और उसे द्विभाषिक में गिनें।
   iv. शाखा में जितनी भी फाइलें खोली गई हैं उनमें शीर्षक द्विभाषिक कर लें। सभी को शाखा प्रभारी के जरिए निर्देश भी दें कि वे अपनी-अपनी फाइलों में यह सुनिश्चित करें।
   v. शाखा के सभी कंप्यूटर यूनीकोड समर्थित हों। यूनिकोड में टाइपिंग करें, यह बेहद आसान है।
   vi. स्टेशनरी की सभी मदें द्विभाषिक ही होती हैं। विजिटिंग कार्ड आदि भी द्विभाषिक ही मुद्रित करवाएं।

3. <u>ठोस व अनिवार्य कार्य</u> :

   प्रधान कार्यालय से समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसरण में किये जानेवाले काम-

   i. हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट को तिमाही समाप्त होने बाद से 15 दिन के भीतर अवश्य भेज दें। एक हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी फाइल में रखें। सभी कॉलम में खासकर आंतरिक कामकाज में प्रतिशत दर्शाएं।
   ii. हर तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के लिए एक दिन निर्धारित करें और इसके कार्यवृत्त बनाकर फाइल में रखें। इन बैठकों में कॉर्पोरेट कार्यालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी परिपत्रों में बताए गए लक्ष्यों/कार्यों पर चर्चा करें तथा आगामी तिमाही की कार्यनीती बनाएँ।
   iii. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य है। संभव हो तो पावती देकर पत्राचार बढ़ाया जाए।
   iv. राजभाषा की दो फाइलें तैयार करवा लें - तिमाही रिपोर्ट की फाइल/ राभाका समिति के बैठकों के कार्यवृत्त की फाइल और दूसरी अन्य सभी कामों जैसे पत्राचार, प्रधान

कार्यालय से जारी परिपत्र, शाखा के सभी द्विभाषिक फार्मेटों, साइक्लोस्टाइल फार्म, ब्रोशर, पैमफ्लेट्स आदि की फाइल।

v. पत्राचार बढ़ाना- चैक रिटर्न मेमो, फिक्सड डिपाजिट रसीद, एटीएम, डेबिट कार्ड पिन, विवरणियां आदि के साथ हिंदी का पत्र लगाएं। बाकी कार्यों के लिए भी फार्मेट तैयार रखें और उनके जरिए पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें।

vi. कंप्यूटर पर कार्य - छोटे छोटे पत्र, बैठक के कार्यवृत्त के जरिए 20% से 50% तक कार्य कंप्यूटर पर हिंदी में दिखाएं। बाकी सारा कार्य तो आप आंकड़ों में ही करते हैं इसलिए वर्ड फाइल पर किये गये कार्य का थोड़ा प्रतिशत हिंदी में दर्शाएं। ई मेल आदि भी हिंदी में भेजें।

vii. किसी भी सरकारी दफ्तर या कार्यालय से निरीक्षण की सूचना मिलते ही तुरंत राजभाषा विभाग को सूचित किया जाए।

<u>अतिरिक्त और उल्लेखनीय कार्य</u> :

i. हिंदी दिवस के अवसर पर कॉर्पोरेट कार्यालय / अंचल कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में शाखा के अधिक से अधिक सदस्यों को सहभागिता के लिए प्रेरित करें।

ii. नया वर्ष, जन्म दिन, 26 जनवरी, 15 अगस्त आदि अवसरों पर आप ग्राहकों को हिंदी/क्षेत्रीय भाषा में शुभकामनाएं भेज सकते हैं। इससे भी आपका पत्राचार बढ़ेगा और साथ ही यह विशेष उपलब्धि आप अपनी शाखा की रिपोर्ट में भी दिखाएँ।

iii. बैंक की हिंदी गृह पत्रिका में रचनात्मक योगदान देना।

iv. ग्राहक सेवा मीट और इस तरह की अन्य बैठकों के कार्यवृत्त हिंदी में तैयार करवाना।

<u>सबसे अंत में</u> :

आप सप्ताह में या महीने में किसी एक दिन को "हिंदी दिन" निर्धारित कर सकते हैं और उस दिन सारी बातचीत और कामकाज हिंदी में करने का प्रयास किया जाए।

अभ्यास

वर्णमाला (स्वर व व्यंजन)

हिन्दी वर्णमाला के स्वर / Vowels in Hindi Alphabet	
अ	As ‘a’ in Coral
आ	Stressed अ
इ	As ‘I’ in ill
ई	As ‘ee’ in Greek
उ	As ‘u’ in Ubuntu
ऊ	As ‘ou’ in you
ऋ	As ‘rhy’ in rhythm
ॠ	Conjugated sound of ‘r’ and ‘rhy’ (as above)
ए	As ‘e’ in par se
ऐ	As ‘a’ in as
ओ	As ‘o’ in go
औ	Stressed and long sound of ‘o’
हिन्दी वर्णमाला के व्यंजन/Consonants in Hindi Alphabet	
क	As ‘k’ in kite
ख	Coupled sound of ‘k’, ‘h’= ‘kh’
ग	As ‘g’ in gun
घ	Coupled sound of ‘g’, ‘h’= ‘gh’
ङ	As ‘gn’ in gnome. Does not produce a particular sound: Just used for articulation of tongue while pronouncing the next word.

च	As ‘ch’ in chair
छ	This sound is not available in English. The tongue touches a bit away (to the inner side) from the teeth while pronouncing ‘ch’ as in chair.
ज	As ‘j’ in jug
झ	This sound is not available in English. ‘The’ is produced using the naval sounds while the tongue touches the upper part of mouth cavity.
ञ	Just like ‘gn’ of gnome with a slight up movement of tongue. No particular sound just articulation while speaking.
ट	As ‘t’ in top
ठ	Hard sound of ‘t’. Not available in English
ड	As ‘d’ in dark
ढ	Coupled sound of ‘d’ and ‘h’= ‘dh’. Not available in English but as ‘dh’ in Indian musical instrument ‘dhol’.
ण	Nasal sound when the tongue touches a bit away from teeth. In न, the tongue touches the roots of the teeth.
त	Soft sound of ‘t’ as used in the name of country Bharat
थ	As ‘th’ in thermo
द	As ‘th’ in the
ध	Not available in English. Again, naval sound produced by coupling soft ‘d’ and ‘h’= ‘dh’.
न	As ‘n’ in man
प	As ‘p’ in push
फ	Sound of ‘f’ if pronounced with closed lips. ‘f’ of German language.
ब	As ‘b’ in ban

भ	Not available in English. Coupled sound of ‘b’ and ‘h’= ‘bh’.
म	As ‘m’ in mass
य	As ‘y’ in yacht
र	As ‘r’ in run
ल	As ‘l’ in love
व	As ‘v’ in vowel
श	As ‘sh’ in shot
ष	Sound of ‘sh’ when the tongue touches the roots of the teeth. In श, the tongue touches the upper part of mouth cavity.
स	As ‘s’ in sound
ह	As ‘h’ in has
ज्ञ	Coupled sound of ‘g’ and ‘y’= ‘gy’
त्र	Coupled sound of soft ‘t’ and ‘r’= ‘tr’.
क्ष	Coupled sound of ‘k’, ‘s’, ‘h’= ‘ksh’. A bit similar to ‘x’
श्र	Coupled sound of ’s’, ‘h’, ‘r’= ’shr’. As ’shr’ in shroud Variations of consonants in Hindi Alphabet
क़	Sound of ‘k’ produced from the throat: equal to ‘q’ of English.
ख़	Sound of ‘kh’ produced from the throat. As ‘kh’ used in the name of ‘khan’.
ग़	Sound of ‘g’ produced from the throat.
ज़	As ‘z’ in zebra
ड़	Next variation of ‘d’. Not available in English and very difficult to produce for foreigners. As ‘re’ in Crore.
ढ़	Not available in English. Next variation of coupled sound of ‘dh’.

फ़	As ‘f’ in fast. As ‘v’ in German language
ळ	Sound of ‘l’ when the tongue almost touches the throat.
हिन्दी वर्णमाला में प्रयुक्त विशेष स्वर / Specials characters in Hindi Alphabet	
ऑ	As ‘a’ in ball
ऍ	As ‘ai’ in main
हिन्दी वर्णमाला में प्रयुक्त प्रतीक / Symbols used in Hindi Alphabet	
◌ँ	Sound of ‘n’ with the previous consonant along with some other symbols used for that consonant
◌ं	Sound of ‘n’ with the previous consonant
◌ः	Sound of ‘h’ with the previous consonant
◌ा	Sound of stressed ‘a’ with the previous consonant
◌ि	Sound of ‘i’ as in ill with the previous consonant
◌ी	Sound of ‘e’ as in eke with the previous consonant
◌ु	Sound of ‘u’ as in Ubuntu with the previous consonant
◌ू	Sound of ‘ou’ as in you with the previous consonant
◌ृ	Sound of ‘rhy’ as in rhythm with the previous consonant
◌ॄ	Double sound of ‘rhy’ as in rhythm with the previous consonant
◌ॅ	Used for transliteration. Giving the up sound to the symbol used.
◌े	Sound of ‘ai’ as in aim with the previous consonant
◌ै	Sound of ‘a’ as in as with the previous consonant
◌ॉ	Sound of ‘a’ as in ball with the previous consonant
◌ो	Sound of ‘o’ as in go with the previous consonant
◌ौ	Stressed sound of ‘o’

्	Halant. This is used to make the consonant half making it disjointed from the sound of अ.
।	Symbol of '.' Full stop in English.
हिन्दी वर्णमाला में प्रयुक्त अंक / Numbers used in Hindi (0-9)	
0	shunya
1	ek
2	do
3	teen
4	chaar
5	panch
6	chhah/chhe
7	saat
8	aath
9	nau

A	अ/ए	R	र/आर
B	ब/बी	S	स/एस
C	क्/सी	T	त/ट/टी
D	द/ड/डी	U	ऊ/यू
E	इ/ई	V	व/वी
F	फ/एफ	W	व/डब्ल्यू
G	ग/जी	X	एक्स
H	ह/एच	Y	य/वाई
I	ई/आई	Z	ज/जेड
J	ज/जे	SH	श
K	क/के	SH	ष
L	ल/एल	OO	ऊ
M	म/एम	EE	ई
N	न/एन	PR	प्र
O	ओ	PAR	पर्वेश
P	प/पी		
Q	क/क्यू		

पदनामों के हिंदी नाम लिखें	
Managing Director and Chief Executive Officer	
Executive Director	
Advisor	
Chief General Manager	
General Manager	
Deputy General Manager	
Assistant General Manager	
Chief Manager	
Senior Manager	
Manager	
Clerk	
Cashier	
Clerk-cum-Typist	
Assistant Manager	
Official Language Officer	
HR Officer	
Legal Officer	
Security Officer	
Chief Security Officer	
Chief Vigilance Officer	
Chief Risk Officer	

Chief OO	
Chief Finance Officer CFO	
Branch Manager	
Assistant Branch Manager	
विभाग / प्रभाग / कक्ष के हिंदी नाम लिखें	
Administration	
Accounts	
Banking Operations	
Bancassurance	
Board Secretariat	
Compliance	
Corporate Communications	
Correspondence	
Credit	
Credit Monitoring	
Digital Banking	
Financial Inclusion	
Information Technology	
Credit Card Centre	
Customer Service Cell	
Expenditure	
Estate	
Human Resources Management	

Inspection	
KYC/AML	
Investor Services	
International	
Legal	
Recovery	
Resources and Government Relations	
Marketing	
Mid Corporate	
MIS	
MSME	
Office Manager	
Official Language	
Premises	
Planning and Business Intelligence	
Retail Assets	
Risk Management	
Recovery	
Rural Banking	
Security	
Stationary	
Treasury	
Vigilance	

बैंकिंग संबंधी शब्दों के हिन्दी नाम लिखें	
Account Payee	
Agreement	
Appellant Authority	
Assets	
Bad Debt	
Blank Cheque	
Bearer Cheque	
Branch Expansion	
Business Hours	
Cancelled Notes	
Capital	
Cheque Clearance	
Clearing House	
Collection Charges	
Compliance	
Counterfoil	
Debit	
Deed	
Denomination	
Dishonoured Cheque	
Document	
Due Date	

Encashment	
Face Value	
Fixed Capital	
Gross Income	
Hypothecation	
Incentive	
Investment	
Joining Date	
Lease	
Lump sum	
Memorandum	
Minutes	
Nomination	
Notification	
Pledge	
Post Dated	
Proposal	
Recruitment	
Resource	
Surcharge	
Target	
Allowance	
Unsecured	

Valid	
Value	
Witness	
Write Off	
Exchange Rate	
Export	
Import	
Forgery	
Inspection	
Misconduct	
Renewal	
Attachment	
Revenue	
Payment	
Branch Operations	
Cash Management	
Customer Care Service	
Currency Chest	

राजभाषा प्रश्नावली

1. इनमें से कौनसी भारत की राजभाषा है?			
क) हिन्दी-अंग्रेज़ी	ख) हिन्दी	ग) अंग्रेज़ी	घ) अंग्रेज़ी-हिन्दी
2. "विश्व हिंदी दिवस" कब मनाया जाता है?			
क) 14 सितंबर	ख) 15 अगस्त	ग) 10 जनवरी	घ) 14 दिसंबर
3. राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है?			
क) क	ख) ख	ग) ग	घ) घ
4. आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं?			
क) 23	ख) 22	ग) 30	घ) 25
5. बैंक की नई दिल्ली शाखा में कार्यरत सुश्री मनीषा को एक ग्राहक से हिंदी में पत्र प्राप्त होता है। उसके शाखा प्रबंधक श्री जगन्नाथ राव दक्षिण भारतीय हैं। उस पत्र का जवाब वह किस भाषा में देंगे ?			
क) हिन्दी	ख) अँग्रेजी	ग) अँग्रेजी-हिन्दी	घ) ग्राहक की मातृभाषा में
6. बैंक की चेन्नै शाखा में जनवरी माह में राभाकास की बैठक की गई।यह कार्यालय अगली बैठक का आयोजन कब करेगा ?			
क) अगले महीने	ख) अगली तिमाही	ग) 6 माह बाद	घ) अगले वर्ष
7. एक बैंक का प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है। इस बैंक की दिल्ली स्थित शाखा ने एक टेंडर जारी किया है जिसे प्रकाशित करने के लिए समाचारपत्रों में भेजा जाना है? शाखा किस विकल्प को चुनेगी?			
क) हिन्दी व अँग्रेजी	ख) बांग्ला-हिन्दी-अँग्रेजी	ग) केवल अँग्रेजी	घ) केवल हिन्दी
8. श्री स्वामी की मातृभाषा तेलुगू है। उन्होने स्वयं के प्रयास से प्रबोध परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए हैं? उन्हें कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी।			
क) 4000	ख) 2000	ग) 8000	घ) 6000
9. पेटीएम कितनी भारतीय भाषाओं में अपनी सेवा प्रदान कर रहा है?			
क) 7	ख) 13	ग) 8	घ) 11

10. गूगल वॉयस नेविगेशन कितनी भारतीय भाषाओं में सेवाएँ प्रदान कर रहा है?			
क) 6	ख) 13	ग) 8	घ) 10
11. ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा वर्ष 2020 में "हिन्दी वर्ड ऑफ द ईयर" के लिए किस हिन्दी शब्द का चयन किया गया था।			
क) जन धन योजना	ख) आधार	ग) आत्मनिर्भरता	घ) नारी शक्ति
12. इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री 9 भारतीय भाषाएँ बोल सकते थे?			
क) एचडी देवगोड़ा	ख) पी वी नरसिम्हाराव	ग) इंद्र कुमार गुजराल	घ) मनमोहन सिंह
13. इनमें से किस भारतीय गायिका ने 36 भारतीय भाषाओं में गाना गाया है?			
क) सुरैया	ख) लता मंगेशकर	ग) कविता कृष्णमूर्ति	घ) के एस चित्रा

उत्तर	1. ख	2. ग	3. क	4. ख	5. क	6. ग
7. क	8. घ	9. घ	10.ग	11.ग	12.ख	13.ख

खेल खेल में सीखें

निम्नलिखित के हिन्दी शब्द खोजकर लिखें

House	
Door	
Window	
Wall	
Terrace	
Chair	
Table	

बु	द	र	वा	जा	स
गु	द्ध	मे	ज	वा	र
ह	रा	दी	वि	मु	फे
श	गु	वा	वा	खि	ह्न
नि	घ	र	र	ड़	क्र
वा	र	वि	वा	की	कु
छ	त	ग	ल	वा	र्सी

Book	
Class	
pen	
Teacher	
School	
Holiday	

बु	द	वि	द्या	ल	य
गु	द्ध	मे	ज	वा	र
ह	कि	दी	शि	मु	अ
श	ता	वा	क्ष	खि	व
नि	ब	र	क	ल	का
क	र	वि	वा	की	श
क्षा	त	क	ल	म	र्सी

Green	
Black	
White	
Pink	
Blue	
Yellow	
Red	
Brown	

क	भू	सं	ला	री	स
ह	रा	जा	ल	मु	फे
नी	ज	ल	म	के	द
माँ	ल	का	स	री	ह
ल	गु	ला	बी	वा	पी
मो	रा	ग	च	नी	ला

वर्ग पहेली – टेबल में दिये गए अंग्रेज़ी शब्दों के हिन्दी अर्थ वर्ग पहेली में भरें।

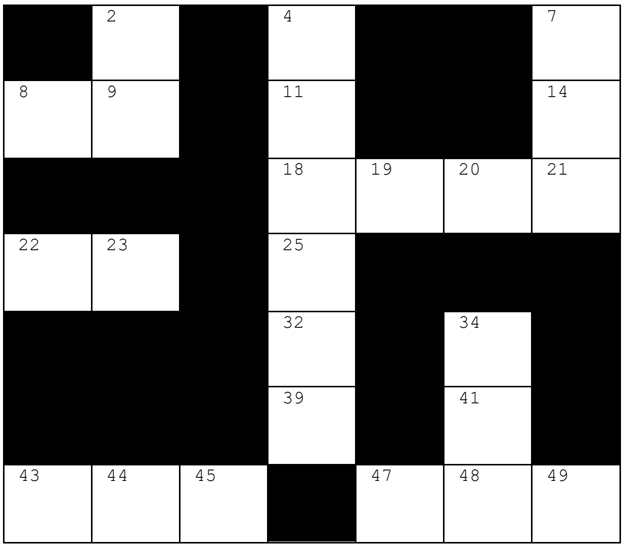

ऊपर से नीचे	बाएँ से दाएँ
2. Rate	8. Tax
4. Branch Manager	18. Manger
7. Payee	22. Branch
34. Sixty Five	43. Liability
	47. Meeting

Notes

Notes

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

(सदैव ऊर्जावान : निरंतर प्रयासरत)

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से, अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से, प्रशिक्षण और प्राइज़ से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा - हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा ! जय हिंद !